HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3666/2026

Mahendra Sinwar S/o Shri Babulal, Aged About 30 Years, Resident Of Aratiya Khurd, Police Station Bhopalgarh, District Jodhpur, Rajasthan. Presently Lodged In Central Jail Jodhpur

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mrs. Urmila Chouhan
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना–भोपालगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**25/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को 8/21, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ स्मैक की मात्रा 7.08 ग्राम बताई गई है, बरामदशुदा मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक नहीं है, प्रकरण में धारा 37 एन.डी.पी.एस. के प्रावधान आकर्षित

नहीं होते हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र सिंवर पुत्र बाबूलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

146-Yogeshwar Sharma/-